ISSN no. 2454-2695
Vol 7 Issue 7 May 2021

आत्म निर्भर भारत में भारतीय भाषा का महत्व

Vaishali Jaiswal
Assistant Research officer
Dept. of Epidemiology
NIHFW

हम सब जानते हैं कि आज कोरोना वायरस के कारण अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी दुनिया दहशत में है। इस महामारी के प्रकोप के कारण सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई अथात लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोरोना के प्रहार से अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रह सकी है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के असंगठित क्षेत्र के लगभग 40 करोड़ से अधिक श्रमिको पर इस लॉकडाउन का प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत भी नाइजीरिया और ब्राजील के साथ उन देशों में शामिल है, जो इस महामारी से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए अपेक्षाकृत सबसे कम तैयार थे। ऐसे में इन देशों में बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़ों में व्यापक वृद्धि होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता। ऐसे भी कई उदाहरण सामने आये हैं कि लॉकडाउन के बाद उभरने वाली महामंदी के दौर को ध्यान में रखते हुए कई पश्चिमी देशों ने अपने यहाँ काम करने वाले भारतीयों/एशियाई लोगों को नौकरी से हटाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल ही में कहा था कि दुनियाभर में ढाई करोड़ से अधिक नौकरियां जा सकती हैं। एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल कंपनी ने कोरोना के कहर के चलते तीन सौ से अधिक कर्मचारियों को टर्मिनेशन नोटिस भेजा है। कोरोना संकट से निपटने के बाद अभी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक संकट से निपटने के लिए भी तैयार होने की आवश्यकता है।

देश में कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकाने व कपड़े धोने की दुकाने, रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है इस समस्या को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है /योजना का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके| एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा | प्रधानमंत्री आर्थिक राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी | इस योजना के ज़रिये देश की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रूपये का संबल मिलेगा |

ISSN no. 2454-2695
Vol 7 Issue 7 May 2021

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार हैं। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन-रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान मिशन के चरण / मिशन को दो चरणों में लागू किया जाएगा :-

- प्रथम चरण:
  - इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।
- द्वितीय चरण:
  - इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ:

- आत्मनिर्भर भारत पाँच स्तंभों पर खड़ा होगा:
- अर्थव्यवस्था
  - जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो;
  - अवसंरचना
  - ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने;
- प्रौद्योगिकी
  - 21 वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली;
- गतिशील जनसांख्यिकी
  - जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत है;
  - मांग

ISSN no. 2454-2695
Vol 7 Issue 7 May 2021

- भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर अभियान की अहम कड़ी के रूप में कार्य करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब-करीब 10 प्रतिशत है। पिछले छह वर्षों के दौरान अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक सुधार योग्य बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इन सुधारों की वजह से प्रतिस्पर्धात्मकता, पारदर्शिता, डिजिटाइजेशन, इनोवेशनऔर पॉलिसी स्थिरता बढ़ी है। भारत में स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। भारत में हेल्थकेयर सेक्टर हर साल 22 प्रतिशत से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विशेषज्ञों ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के तनाव को दूर करने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक मनोदर्पण गाइडलाइन बनायी है।

एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है।

देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। हिन्दी देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिन्दी जानते हुए भी लोग हिन्दी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हिन्दी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार की जा सके।

राजभाषा हिंदी के विकास के लिए खासतौर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो। इसी कड़ी में राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। 14 सितंबर, 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस

ISSN no. 2454-2695
Vol 7 Issue 7 May 2021

निर्णय को महत्व देने के लिए और हिन्दी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिंदी को ही जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कार्यरत है। उम्मीद है कि हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो सकेगा।

हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी जन-आंदोलनों की भी भाषा रही है। हिंदी के महत्त्व को गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, 'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी'। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही है। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। आज के तकनीकी के युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जन संख्या सहित सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान से संबंधित साहित्य का सरल अनुवाद किया जाए। इसके लिए राजभाषा विभाग ने सरल हिंदी शब्दावली भी तैयार की है। राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान-विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होंगी। हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में निरंतर प्रयास भी जरूरी है।

भाषा वही जीवित रहती है जहा उसका व्यापक प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिन्दी है। इसलिए इसको एक-दूसरे में प्रचारित करना चाहिए । इस कारण हिंदी

ISSN no. 2454-2695
Vol 7 Issue 7 May 2021

दिवस के दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का ही उपयोग करें। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी।

किसी भी राष्ट्र के विकास में समु त्थान के लिए तकनीक और भाषा दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है । केवल तकनीकी विकास अथवा केवल भाषा की प्रगति से संतुलित विकास कर पाना संभव नहीं है । ये दोनों परस्पर अनन्यो आश्रित है यानि पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर है । इन्हे एक ही सिक्के के दो पहलु माना जाए तो अतिशयोतोक्ति नहीं होगी। जब दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते है तो तकनीक के विकास से भाषाई वैविध्य में भी एकता और सामंजस्य दिखाई पड़ता है जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए मूलाधार का कार्य करता है।

तकनिकी विकास के इन फलको में किसी भी भाषा की सीमा में बंध कर रहना नहीं सिखाता ।भारतीय सन्दर्भ में अंग्रेजी में चीजे आई और फिर उसने हिंदी में अपना विस्तार पाया जो कालांतर में भारतीय भाषाओ जैसे बांग्ला ,मराठी ,गुजरती तमिल कन्नड़ ,मलयालम ,ओड़िया अदि में भी अपना रूप दिखाया ।यह भाटिया सन्दर्भ तक ही सिमित क्यों रहा।तकनिकी विकास मेंके इन फलको में वै श्विक भाषाओ जैसे रुसी। जापानी, फ्रांसीसी मंदारिन भाषा अदि में भी अपनी पैठ जमाई ।तकनीनिकी विकास की इस कड़ी में विभिन्न भाषाओ का प्रोयोगिक अस्तित्व में आना भाषाई एकता को दर्शाता है ।

भारत में 34 वर्षों बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। इसके पहले 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी। विद्वानों, शिक्षाविदों, छात्रों, शिक्षकों, राजनेताओं के अनेक संवादों के बाद यह शिक्षा नीति आकार ले सकी है। इसमें एक दीर्घकालिक परिवर्तन का दृष्टिकोण, एवं सुसंगत योजना का अनोखा तालमेल है। नई शिक्षा नीति का यह मसौदा जो स्वीकृत हुआ है, वह अभी इसका विजन डॉक्यूमेंट है। इसको व्यवहार में लाने की विस्तृत योजना इसी के आधार पर मानव संसाधन मंत्रालय बनाएगा। इसके इसी दृष्टिपत्र एवं योजना की मूल आधार भूमि अगर समझना चाहें, तो हमें इसकी 'भाषा संबंधी' नीति को देखना होगा।नई शिक्षा नीति-2020 में पांचवीं कक्षा तक आवश्यक रूप से मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। कोई चाहे तो आठवीं कक्षा तक या उसके बाद भी अपनी मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। नई शिक्षा नीति-2020 में बहुत सावधानी से उत्तर एवं दक्षिण के बीच प्रायः खड़ा हो जाने वाले हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं के मध्य के विवाद को समाप्त करने की कोशिश की है। इसीलिए मातृभाषा के साथ-साथ स्थानीय भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भाषा संबंधी किसी भी संकीर्णता से इस नई शिक्षा नीति को बचाता है।

मातृभाषा या स्थानीय भाषा में स्कूली शिक्षा समाज निर्माण की प्रक्रिया में आधारभूत परिवर्तन आ सकता है। हम जैसे ही स्कूल में जाते हैं। एक सुनियोजित ढंग से आत्म भाषा और स्थानीय भाषा से अचानक हमारा

ISSN no. 2454-2695
Vol 7 Issue 7 May 2021

कटाव शुरू हो जाता है। इसके कारण एक तो हमारे जीवन की भाषा एवं शिक्षा की भाषा में तनाव पैदा हो जाता है। इसमें हमारा मौलिक आत्म खोने लगता है। शिक्षा के द्वारा एक ऐसा 'आत्म' जिसे 'शिक्षित व्यक्तित्व' भी कह सकते हैं, विकसित होता है जो या तो आधा-अधूरा होता है, या एक दूसरे को कमजोर कर रहा होता है।इस प्रक्रिया के कारण हमारा अपने ही समाज एवं उसकी शक्ति पर आत्मविश्वास तो कम होता ही है, हम धीरे-धीरे अपने सामाजिक संस्रोतों, एवं सांस्कृतिक समृद्धि से कट जाते हैं। हमारी जीवन संस्कृति की भाषा कोई और होती है और शिक्षा की भाषा कोई और हो जाती है। इससे हमारी आत्मा से विखंडन पैदा होता है और हम अपने साथ कई विरूद्धों को साथ में लेकर चलने वाले नागरिक में तब्दील होते जाते हैं। हर मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा अपने साथ एक विशेष जीवन मूल्य, जीवन अनुभव, ज्ञान संस्रोत लिए रहती है। हम जब अपनी भाषा खोते हैं, तो भाषा के साथ इन सबको खोते हैं। नई शिक्षा नीति-2020 जिसका मूल दर्शन मूल्य, सामाजिक संवेदना, नागरिक भाव एवं दक्ष इन्सान बनाने का प्रतीत होता है, की लक्ष्य प्राप्ति में मातृभाषाएं एवं स्थानीय भाषाएं आधार तत्व का काम करेंगी।

यह जानना रोचक है कि जिस आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न हमने देखना प्रारंभ किया है, उसका मूल तत्व है अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान एवं अपनी दक्षता के मूल्य को समझकर उन पर आत्मविश्वास विकसित करना। यह आत्मविश्वास अपनी भाषा से सतत जुड़ाव से मिलती रह सकती है। दूसरा, जो नागरिक, ज्ञानी, शोधज्ञ, उद्यमी अपनी 'आत्म भाषा' से जुड़ा होगा, वही अपने समाज में प्रचलित लोक ज्ञान एवं लोक उद्यमों को जानेगा, बुझेगा और उनकी खूबियां दूसरों को समझा पाएगा।आत्मनिर्भर भारत का भौतिक पक्ष है- लोक दक्षता, देशज ज्ञान, स्थानीय उत्पादों को महत्व देने पर टीका हुआ है। इस पक्ष को भी मातृभाषाओं एवं आत्म भाषाओं से जुड़ा नागरिक ही मजबूत कर सकता है। ऐसा ही नागरिक उन्हें जानकर, उनकी प्रक्रियाओं को अंकित कर उन्हें भारत में बढ़ते बाजार से जोड़ पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो उन देशज कौशल को जीयेगा, उनका मूल्य समझेगा, वही दूसरों को भी उन्हें महत्व देने के लिए तैयार कर सकता है।

इस प्रकार नई शिक्षा नीति-2020 के मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा पर जोर देने की पहल से वह मानुष तैयार होगा, जिसका अपने सामाजिक संस्रोतों, स्थानीय ज्ञानों, देशज दक्षताओं पर विश्वास होगा। उसका यही विश्वास उसे ऐसे माननीय संस्रोत में बदलेगा, जिससे वह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नींव के पत्थर का काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब मात्र बाजार एवं उत्पादों से ही नहीं है। इसके दो आधार भूतत्व हैं- एक तो आत्मविश्वास दूसरा, अपने समाज एवं जीवन संस्कृति से गहरा संवाद।नई शिक्षा नीति-2020 स्कूली शिक्षा को मातृभाषा एवं स्थानीय भाषाओं से जोड़कर भविष्य के भारतीय मानुष में उपरोक्त दो तत्वों के विकास में सहायक है। यही दो तत्व हम सबके भीतर उस मानस की रचना करेंगे, जिससे भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में

ISSN no. 2454-2695
Vol 7 Issue 7 May 2021

कदम बढ़ा सकता है। इस प्रकार कई बार मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति के द्वारा भविष्य के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आधारशिला धीरे-धीरे तैयार होती जाएगी।